

15/11/21 म
3A

(पञ्चमहाखाकर शक्ति)
प्राधिका

न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महादय ड्रांसी

महाराष्ट्र राज्य न्यायालय
अन्तरण प्राधिका
पुनावली कला थाना
रकसा जिला ड्रांसी

अन्तरण प्राधिका (पुनावली कला थाना) 11/11/21
दारा सिंह पुत्र बुन्दावन सिंह आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम पुनावली कला थाना
रकसा जिला ड्रांसी।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. अमान पुत्र मूल निवासी ग्राम पुनावली कला थाना रकसा जिला ड्रांसी (साप)।

Order of Court dated 30/11/21


Called out Applicant's counsel present.
Let copy of the application 7A be sent
to the office of Court concerned for
eliciting his comments/report to sealed
cover, for 30/11/21.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 408, 200(1)(सा),
सम्बन्धित थाना- रकसा जिला ड्रांसी
धारा- 323, 307, 504 मा(1)(सा)
अ(सा)- 253/2016
सत्र परीक्षण सा- 189/2017
नियत दिनांक- 12.11.2021

यह अन्तरण प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

श/ (55)

- 01- यह कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में अभियोजन साक्षी है और प्रार्थी का माई कल्याण सिंह वादी है।
- 02- यह कि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य ने प्रार्थी को दिनांक 08.10.2021 को अपने चैम्बर में बुलाकर बोले कि तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते हो। मैं वादी और गवाहों को भी सजा कर देता हूँ तुम लोग दो लाख रुपये की व्यवस्था करो नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जाओ।
- 03- यह कि मैंने हाथ जोड़कर कहा मैं गरीब किसान हूँ मेरे पास रुपये नहीं हैं मैंने क्या गुनाह किया है" मैं तो गवाह हूँ तो मुझे मां बहिन की गालियां देने लगे और बोले तू बड़ा गवाह बनता है, और तेरा वकील बहुत बड़ा नेता है, मैं तुझे व तेरे नेता वकील को जेल में डलवा दूंगा। नहीं तो जमीन या मकान बेचकर रुपये का इन्तजाम कर लो।



Copy of order forwarded to AS/J.P. for information & Necessary Action and report by 30/11/21.

यह कि इससे पहले उन्होंने मेरा गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर दिया था। जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी मैंने गिरफ्तारी वारण्ट वापस कराया मुझे देर शाम तक बैठाये रखा और मुझसे कहा तुम अपने वकील के खिलाफ शिकायत करो मैंने कहा साहब मेरे पास रुपया नहीं है और मैं गलत शिकायत नहीं करूंगा

By Order तब उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए एक नोटिस भेज दिया जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

Sadar Munsar...
Dhanu

दारासिंह

1/19

8/49

✓ 7A

.....2.....

05— यह कि जज साहब ने मुझसे यह भी कहा अब मैं रूपये लेकर अमान आदि को बरी कर दूंगा, और तुम्हे सजा कर दूंगा। मुझे श्री विमल प्रकाश आर्य से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

प्रार्थना

अतः महोदय से प्रार्थना है कि अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0— 2 पीठासीन अधिकारी विमल प्रकाश आर्य के न्यायालय से सत्र परीक्षण स0— 169/2017 धारा— 323, 307, 504 आई0पी0सी0 व अ0स0— 253/2016 थाना रक्सा सरकार बनाम अमान आदि को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित करने की कृपा करें। जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके।

दिनांक— 10.11.2021

प्रार्थी

दारा सिंह पुत्र बृन्दावन सिंह
निवासी— ग्राम पुनावली कला थाना
रक्सा जिला झॉंसी।



...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त पत्र में ...
 ... साक्षी हैं। पूर्व नियत तिथि पर ...
 ... का लोका लगा था जिस कारण ...
 ... आ गया जिस कारण ...
 ... साक्षी देने नहीं आ पाया जिस पर ...
 ... के अनानुमित वारंट कर दिये ...
 ... साक्षी के अनानुमित वारंट को ...

अतः न्यायालय की आज्ञा से विनम्र निवेदन है कि
 प्राप्ति/साक्षी दारा सिंह के अनानुमित वारंट निरस्त कर अन्य कोई
 विकल्प उपाय करने की कृपा करें।

दिनांक - 17.08.21

प्रार्थी
 दारा सिंह पुत्र श्री बहाधुर सिंह
 निवासी पुनापर्वी कला आगा रस्ता
 जिला - झोंसी 309.

जसवि कर्मचारी
 ...
 ...
 ...

17.08.21
 साक्षी उपरोक्त पत्र में ...
 ... का अनानुमित वारंट ...
 ... के अनानुमित वारंट ...
 ... का अनानुमित वारंट ...

1/23

8/52

FORM NO. 45

46B

BILL ATTENDANCE BEFORE OFFICER INCHARGE
POLICE STATION OR COURT

See [Section 436, 437, 438 (3) and 411]

10

Court of Special Judge F.T.C. D. Thakur

of 2017

State of U.P.

Versus Aman Singh etc

U/s 307, 323, 504, 506 I.P.

P/S Raksha

Dist Thurai

Re

Name Dara Singh S/o Brahdaban Singh

R/o Village Purandekda Raksha

P/S Raksha

Dist Thurai having been arrested or detained without

warrant by the officer Incharge of Raksha Police Station

for having been brought before the Court of Sp. Judge F.T.C. D. Thakur Charged

with offence of 307, 323, 504, 506 I.P. Required to give security for my

attendance before such officer of court on commission the I shall attend such office of

court on everyday on which and investigation or trails is help with regard to such charge

and in case of making default here in, I bind myself to forfeit to U.P. Government the sum

of rupees. 10,000/-

10

10

10

10

10

This Dated 17 Day of Oct 2017

वारासिंह
Signature

I Know Dara Singh he has signed/put his L.T.I. before me

Advocate

श्री. राजेश खर शुक्ल
अधिवक्ता
बी.जे.एम. कॉलेज रोड, लखीमपूर
कोड 201189
पंजीयन संख्या-5739789
फोन नं-9415502219

10
10
10

विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झांसी

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

दिनांक- 03. 09. 2021

संदेश

बनाम

श्री चन्द्रशेखर शुक्ल (एडवोकेट)

कोड नं०- 1289, पंजीयन सं०- 5739/ 89

विषय:- बिना वकालतनामा के सत्र परीक्षण सं०- 169/ 2017 राज्य बनाम अमान आदि अन्तर्गत धारा- 323, 307, 504 IPC मु०अ०सं०- 253/ 2016 थाना- रक्सा, जिला झांसी में साक्षी दारा सिंह का जमानतीय वारण्ट निरस्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

आपके द्वारा दिनांक- 17. 08. 2021 को उपरोक्त मामले में साक्षी दारा सिंह का जमानतीय वारण्ट निरस्त करने के बावत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था और आपके द्वारा कोई वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया था।

अतः आप दिनांक- 18. 09. 2021 को प्रातः 11 बजे तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराये कि क्या दिनांक- 17. 08. 2021 तक आपके द्वारा उक्त पत्रावली में साक्षी दारा सिंह की ओर से कोई वकालतनामा दाखिल किया गया था अथवा नहीं। यदि आपके द्वारा कोई वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया था तो किस प्राधिकार से आपने साक्षी की ओर से वारण्ट रिकॉल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और क्यों न इस बावत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

Sir
Copy Recd
10/09/2021

अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झांसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

1195
1

न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)-महोदय,
झोंसी

प्रार्थना पत्र संख्या-
सरकार बनाम

सन, 2021
अमान आदि
धारा- 307, 504, 506 मा0द0स0
थाना- रक्सा जिला झोंसी
मु0स0-169/2017

महोदय,

प्रार्थना है कि प्रार्थी को श्रीमान जी के न्यायालय से एक नोटिस दिनांकित 17.08.2021 को प्राप्त हुआ जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना है कि प्रार्थी ने जमानती गिरफ्तारी अधिपत्र निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और साक्ष्य हेतु उपस्थित था श्रीमान जी द्वारा 10,000/रु का व्यक्तिगत बन्धपत्र मांगा गया था जो कि प्रार्थी ने प्रस्तुत कर दिया था जानकारी न होने के कारण प्रार्थी घर चला गया था पुनः बुलाने पर गाँव से फिर वापस आया था प्रार्थी को जानकारी के अभाव में यदि कोई त्रुटि हुयी हो तों क्षमा चाहता है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि नोटिस के सम्बन्ध में जवाब

स्वीकार करने की कृपा करें।

दिनांक-03.09.2021

प्रार्थी

दारासिंह

दारा सिंह गुर्जर पुत्र श्री बृन्दावन
गुर्जर निवासी ग्राम पुनावलीकला
रक्सा थाना रक्सा जिला झोंसी
उ0प्र0।

श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश
सरकार बनाम
श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश
कोड नं0-1289
श्रीमान संख्या-5739/89
नं0 नं0-9415502219

03-09-2021
श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश
कोड नं0-1289
श्रीमान संख्या-5739/89
नं0 नं0-9415502219

1918
2

श्रीमान श्रीमान एच एच श्रीमान

31.10.169/2017

निरवृत्त वन्दन श्रीमान आर.

घाट - 323, 307, 504 21C

पारा - 245A

श्रीमान,

सन्निवृत्त निवेदन है कि दिनांक 17-02-2014

की फेरी के लिए 1800 के आर्डर का वासीला हुआ था
पानी उपरोक्त दिनांक को उपस्थित हुआ तथा उसके
सोकोबे हेतु पानी पर अपने अधिवक्ता श्री यन्त्र
कुशल द्वारा दारिद्र्य करा दिया परंतु पानी की जानकारी में
मद नहीं था कि पत्रावली में कुशल की वास्तविकता नहीं
है उने पर नियंत्रण करवा जल निकासी तथा जिसकी उच्च जानकारी
करी थी इसी कारण नैचपत्र भरकट कर सोच कर फल गमि कि
मेरे वयान अपनी तरीका पर हरे-चूड़ि 24 गिन अधिवक्ता, लंड
फर सनाव वय इस लिए अधिवक्ता मेधरम ले मुलावत नहीं है लकी
मो द्वारा जनवृत्त करके जलती नहीं की गई है मैं अधिवक्ता
साथी हूँ सादर हेतु श्रीमान जी कि समझ उपस्थित हुआ हूँ उनको
मे हूँ जलती के लिए श्रीमान श्रीमान जी ले समझ माग रहा हूँ
अधिकार के पेशी पनावरवरी नहीं करेगा

अतः श्रीमान जी ले फायदा है कि मेरे विरुद्ध जारी
परवृत्त/नोस्टिन अधिनियम के अन्तर्गत हूँ।

श्रीमान,
सिद्धि सिंह
कांग्रेस पार्टी
03/09/2017

श्रीमान श्रीमान
दाय सिंह कुच निरवृत्त
कि पनावरवरी कर
वय 245A

न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) महोदय, झॉसी

प्रार्थना पत्र संख्या-

सन, 2021

सरकार बनाम

अमान आदि

धारा- 323, 307, 504, भा0द0स0

थाना- रक्सा जनपद झॉसी

मु0अ0स0-253 / 2016

सत्र परीक्षण संख्या-169 / 2017

विषय :-माननीय महोदय द्वारा निर्गत आदेश नोटिस दिनांकित 03.09.2021 जे

सत्र परीक्षण संख्या 169 / 2017 धारा-323, 307, 504, ता0हि0 मु0 अ0 स0

253 / 2016 थाना रक्सा में प्रेषित

महोदय,

निवेदन है कि सत्र परीक्षण संख्या-169 / 2017 राज्य बनाम अमान आदि में आपके द्वारा दिनांक-03.09.2021 को एक नोटिस इस आशय का प्रेषित किया गया है कि मेरे द्वारा बिना वकालतनामा के साक्षी दारा सिंह का जमानतीय वारण्ट निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है इस सम्बन्ध में माननीय महोदय से अनुरोध है कि मेरे द्वारा साक्षी दारा सिंह के फोटो व हस्ताक्षर को प्रमाणित किया गया है वारण्ट रिकाल का प्रार्थना पत्र साक्षी दारा सिंह की ओर से ही प्रस्तुत किया गया था अगर मेरे द्वारा किये गये उक्त कार्य से श्रीमान जी के सम्मान में कोई कमी आयी हो तों मैं खेद व्यक्त करता हूँ।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि दिनांक-03.09.2021 को उक्त सम्बन्ध में जारी नोटिस वापिस लेने की कृपा करें।

दिनांक-18.09.2021

भवदीय

(चन्द्रशेखर शुक्ला)

एडवोकेट

सी0जे0एम0कोर्ट कम्पाउण्ड झॉसी

12/4

FORM NO. 45

BOND AND BILL ATTENDANCE BEFORE OFFICER INCHARGE
POLICE STATION OR COURT

See [Section 436, 437, 438 (1) and 411]

In the Court of Special Judge T. N. Tharai

Case No. _____ of _____

State of U.P. Versus Arsons and Offences

U/s. 307, 504, 506 I.P.C.

P/S. Rakha

Dist. Tharai

I Name Daro Singh S/o. Bansalabau Singh

R/o Village Panchicala Rakha Tharai

P/s. Rakha

Dist. Tharai having been arrested or detained without

warrant by the officer Incharge of Rakha Police Station

for having been brought before the Court of Special Judge T.N.R. Charged

with offence of 307, 504, 506 I.P.C. Required to give security for my

attendance before such officer of court on commission the I shall attend such office of

court on everyday on which and investigation or trails is help with regard to such charge

and in case of making default here in, I bind myself to forfeit to U.P. Government the sum

of rupees. 10,000/-

This Dated 03 Day of 09 2021

करासिंह
Signature

I Know Daro Singh he has signed/put his L.T.I. before me

12/09/21
TS
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.)
(चौहदवी वितीय आयोग के तहत गठित), झांसी
C3-9-21

Advocate 03/09/21

(पं० चन्द्रशखर शुक्ल)
अधिवक्ता
राज्यपालक न्यायिक कम्पाउण्ड, झांसी (उ.प्र.)
कोड नं०-1289
राज्यीय नं०-5739/89
फोन नं०-9415502219

दिनांक 17.08.2021
अपर सत्र न्यायाधीश (F.T.C.) झाँसी
चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित
दिनांक 29.10.2021

कोर्ट
संख्या
श्री 1289 पंजीयन सं० 5739 89


विषय: बिना वकालतनामा के सत्र परीक्षण सं० 169/2017 राज्य बनम प्रदान अर्थात् प्रमाणित सं० 323/3/2014
IPC म०अ०सं० 253/2016 धाना-रक्सा, जिला झाँसी में साक्षी द्वारा खेद क. जमानतीय दण्ड प्रमाणित करने
हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने व गलत एवं भ्रामक आख्या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के संबंध में

आपको अवगत कराया जाता है कि आपने दिनांक- 17.08.2021 को साक्षी दारा सिंह का जमानतीय दण्ड
निरस्त करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और आपके द्वारा कोई वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया और आप साक्षी का
बिना साक्ष्य अंकित कराये न्यायालय कार्य अवधि के पूर्व ही उक्त साक्षी को अपने साथ ले गये और आपके द्वारा कोई
वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया था। इस बावत आपको एक नोटिस दिनांक-03.09.2021 का दिया गया था,
जिसमें आपने यह कथन किया है कि "माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे द्वारा साक्षी दारा सिंह के फोटो व हस्ताक्षर का
प्रमाणित किया गया है। वारण्ट रिकॉल का प्रार्थनापत्र साक्षी दारा सिंह की ओर से ही प्रस्तुत किया गया है। अगर मेरे द्वारा
किये गये उक्त कार्य से श्रीमान जी के सम्मान में कोई कमी आयी है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ"

आपको अवगत कराना है कि साक्षी दारा सिंह द्वारा दिनांक- 17.08.2021 को दिये गये प्रार्थनापत्र में साक्षी का
कहीं भी फोटो चस्पा नहीं है और न ही आपने साक्षी दारा सिंह के फोटो व हस्ताक्षर को प्रमाणित किये जाने का उल्लेख किया
है। इससे ज्ञात होता है कि आपके द्वारा गलत आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है और न्यायालय को गुमराह करने का
प्रयास किया है।

अतः आप दिनांक- 12.11.2021 को अपना स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुत करें कि समय से पूर्व
दिनांक- 17.08.2021 को साक्षी को न्यायालय से ले जाने और न्यायालय में साक्षी को उपस्थित न होने देने व साक्षी के
प्रार्थनापत्र दिनांकित- 17.08.2021 के फोटो व हस्ताक्षर प्रमाणित करने के बावत गलत व भ्रामक आख्या प्रस्तुत करने
पर क्यों न आपके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 174, 177, 186 के तहत कार्यवाही की जाए। आप यह भी बताये
कि दिनांक- 17.08.2021 को साक्षी दारा सिंह का जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था क्या वह प्रार्थनापत्र आपके
हस्तलेख में नहीं है और यदि वह आपके हस्तलेख में नहीं है तो वह किसके हस्तलेख में है और इस बावत अपना शपथपत्र भी
दाखिल करें और यह भी बताये कि दिनांक- 17.08.2021 को आपने निजी बंधपत्र पर किसके आदेश से अपनी मुहर
लगायी व धनराशि 10,000/- रुपये अंकित कर न्यायालय में दाखिल की।

अपर सत्र न्यायाधीश (F.T.C.) झाँसी
चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित
दिनांक 29.10.2021


29.10.2021
अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

12/5

विद्युत् आवेशित - समान
विद्युत् च आवेशित ३-०-०
विद्युत् आवेशित च आवेशित

अथवा २०१९ : ५ ६ ७ ८
मेधा

प्रक

विमल प्रकाश आर्य

अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान अध्यक्ष वार एसोशिएशन,
झाँसी ।

विषय

श्री चन्द्रशेखर शुक्ल एडवोकेट पर नोटिस की तामीली कराये जाने के संबंध में ।

महोदय

अवगत कराना है कि श्री चन्द्रशेखर शुक्ल एडवोकेट को अपने अर्दली के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया जा रहा है, जिन्होंने लेने से इंकार कर दिया और इस बावत मेरे न्यायालय के कर्मचारी श्री मोहित शर्मा द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है ।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त नोटिस की तामीली श्री चन्द्रशेखर शुक्ल एडवोकेट पर कराकर दिनांक- 12. 11. 2021 से पूर्व न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

दिनांक- 01. 11. 2021

भवदीय



०१.११.२०२१
(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

जाय /
०५/११

140 चण्डोखर शुक्ल)
अधिवक्ता

जो०एम० कोर्ट कम्पाउण्ड, झांसी (3090)
काउंट न०-1289
पत्तोयन संख्या-5739/89
फोन न०-9415502219

47/11/21
5507

T.C

ASJ/PTC II

न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झाँसी

अन्तरण प्रार्थना पत्र सं० 412 सन, 2021

- 1- महेंद्र कुमार वर्मा उर्फ रिकू पुत्र रमेश चन्द्र वर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी- ओमशान्ति नगर, थाना कोतवाली झाँसी उ०प्र०।
- 2- डालचन्द्र वर्मा उर्फ डबू पुत्र श्री मेहरवान उम्र 45 वर्ष निवासी- महावीरनपुरा नगरा थाना प्रेमनगर जिला झाँसी।

बनाम

- 1- उत्तर प्रदेश सरकार
- 2- हरप्रसाद दमेलिया पुत्र स्व० श्री हल्केराम दमेलिया निवासी- 1289 जूनियर हाई स्कूल के पास खजूरबाग रोड नई वस्ती थाना कोतवाली जिला झाँसी उ०प्र०।

Copy of Order 20/11/21

Called Out- Counsel for the applicants present. Let copy of the complaint be sent to P.O of the Court concerned to elicit his comments/reports in stealed cover.

अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 408 द०प्र०स० सम्बन्धित थाना- नबाबाद जिला झाँसी।
नियत दिनांक- 12.11.2021

श्रीमान जी, यह अन्तरण प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

1- यह कि विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्री विमल प्रकाश आर्य ने पूर्व नियत

sd/-

(S.J)

दिनांक 11.01.2021 को मुझे अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा चल रहा है वह मेरे साथ रहती नहीं है मैं परेशान रहता हूँ। इसलिए तुम मुझे आर्मी कैण्टीन से अच्छी क्वालिटी की शराब व एक सुन्दर कन्या की व्यवस्था करो। नहीं तो मैं तुम लोगो को किसी बहाने जेल भेज दूंगा और तुम्हारे जमानते निरस्त कर दूंगा। मैंने जब मना कर दिया तो उन्होंने मुझे परेशान किया पत्रावली को चैम्बर में रख लिया।



2- यह कि पीठासीन अधिकारी ने मुझसे यह भी कहा कि तुम अपना वकील

Copy of order forwarded to ASJ/PTC II for information & Necessary Action and report by 20/11/21.

बदल लो और जो मैं कहू वह पूरा कर दो मैं नहीं तो तुम लोगो को इस केस में सजा कर दूंगा।

3- यह कि पीठासीन अधिकारी ने मुझे यह भी धमकी दी है कि मैं बिना रूपया

लिये या बड़ी गिफ्ट लिये कोई काम नहीं करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने जिन

By Order

Sadar Munsif/ Sessions Judge
Bhansi (U.P.)

8/51 1/21

मै-उ-युएक

में कोई गवाह नहीं थे, मैंने सजा कर दी है और जिन केसों में गवाह थे उ
केसों से मैंने बरी कर दिया है।

4- यह कि पीठासीन अधिकारी ने मुझसे यह भी कहा कि तुम अच्छी हैसियत वाले
हो तो जो मैं कहता जाऊ वह तुम करते जाना अन्यथा सजा के लिए तैयार रहना
और पता लगा लों। मैंने जब से ज़ॉसी में चार्ज लिया है जिन केसों में एक भी
गवाही नहीं है उनमें मैंने सजा की है, और जिनमें गवाह आया है उन केसों में
मैंने बरी किया है।

5- यह कि मुझे पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य से न्याय मिलने की
आशा नहीं है मैं उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं कर सकता हूँ। उपरोक्त प्रकरण को
न्यायहित में किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित करना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थना

अतः न्यायालय श्रीमान जी से न्यायहित में प्रार्थना है कि
अपर सत्र न्यायाधीश विमल प्रकाश आर्य (एफ0टी0सी0- 2) के न्यायालय में
लम्बित अ0स0- 701/2015 धारा- 307 भा0द0स0 थाना नवाबाद को किसी अन्य
न्यायालय में न्यायहित में अन्तरित करने की कृपा करें।

दिनांक- 10.11.2021



Copy of order forwarded to.....
for information & Necessary Action

प्रार्थी
महेन्द्र कुमार

महेन्द्र कुमार वर्मा उर्फ रिकू पुत्र रमेश चन्द्र वर्मा
निवासी- ओमशान्ति नगर, थाना कोतवाली ज़ॉसी
Sadar Munsarim Sessions Clerk
Sessions Judge

8/52

1/22

सेवा में

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया
झोंसी

विषय - अपर सत्र न्यायाधीश श्री विमल प्रकाश आर्या द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में :

महोदया

विनम्र निवेदन है कि आज दिनांक 01.11.2021 को मरकाट बनाम डालचन्द्र आदि धारा- 307 भा0द0वि0 धाना नवावाद जनपद झोंसी अ0स0-701/2015 की पत्रावली आज की तिथि में नियत है प्रातः 10:00 बजे से प्रकरण से सम्बन्धित दाना अभियुक्तगण न्यायालय में खड़े हुये है पत्रावली का पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या अपने विश्राम कक्ष में रखे हुये है मरे द्वारा कुछ दिन पूर्व अन्य अधिवक्ताओं के साथ श्री विमल प्रकाश आर्या की शिकायत माननीय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति एवं महोदया से की थी जिससे श्री विमल प्रकाश आर्या मुझसे अत्यधिक नाराज है और द्वेष भावना पूर्वक कार्यवाही कर रहे है मुझ यह भी जानकारी हुयी है कि वह प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- डालचन्द्र 2- महेन्द्र उपस्थित है और न्यायालय के बाहर खड़े है वह जानबूझकर मेरे एवं अभियुक्तगणों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करना चाहते है।

अतः माननीय महोदया से प्रार्थना है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक-01.11.2021

*Summon the
Deoat immediately
from the court concerned*

1/11/21

प्रतिलिपि..... A.O.J./F.T.C.
..... (14 F.C.)
.....
सूचना एवं आलेखिक अनुपालन
हेतु प्रेषित।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
न्यायालय, झोंसी
01/11/2021

भवदीय

01/11/2021

(चन्द्रशेखर शुक्ला)
अधिवक्ता

प्रार्थीगण

1-डालचन्द्र
2- महेन्द्र

प्रेरक

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झांसी ।

विषय

सत्र परीक्षणीय सं० 11/ 17 राज्य बनाम डालचन्द्र उर्फ डल्लू आदि की पत्रावली स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय

सादर निवेदन करना है कि उक्त सत्र परीक्षणीय वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अभियुक्तगणों के अधिवक्ता श्री चन्द्र शेखर शुक्ल हैं, जो न्यायालय पर अनावश्यक दवाब बनाने का प्रयास करते रहते हैं और उक्त पत्रावली में पूर्व में तिथियाँ नियत करने के बावत भी दवाब डाल चुके हैं, और कहते हैं कि कचहरी में सभी अधिकारी वैसा ही करते हैं, जैसा मैं कहता हूँ, यदि कोई अधिकारी मेरे कहने से कार्य नहीं करता है तो मैं उनकी झूठी शिकायतें भी करता हूँ ।

उक्त पत्रावली में भी उक्त अधिवक्ता दिनांक 01. 11. 2021 को आदेश पत्र लिखे जाने और पक्षकारों के चले जाने के पश्चात श्रीमान जी को झूठी शिकायत कर चुके हैं जो कागज सं० 60B के रूप में पत्रावली पर संलग्न है ।

आज दिनांक 12. 11. 2021 को चन्द्र शेखर शुक्ल अधिवक्ता ने अपने जूनियर अधिवक्ता धर्मेन्द्र के माध्यम से न्यायालय में अभियुक्तगणों का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भिजवाया और छायाप्रति पर न्यायालय द्वारा पावती देने के लिए कहा । इससे ज्ञात होता है कि चन्द्रशेखर शुक्ल अधिवक्ता न्यायालय की गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं और न्यायिक कार्य में जानबूझकर व्यवधान कारित कर रहे हैं । अधिवक्ता के उक्त निन्दनीय आचरण से मैं आहत हूँ, और अब मैं व्यक्तिगत रूप से उक्त पत्रावली का निस्तारण नहीं करना चाहता हूँ ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करने की कृपा करें ।

दिनांक: 12. 11. 2021

भवदीय


12.11.2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।


12.11.2021

12/6

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District झांसी P.S. महिला थाना Year 2016
(जिला): (थाना): (वर्ष):
FIR No. 0048 Date & Time of FIR 25/06/2016 14:45
(प्र.सू.रि. सं.): (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): वजे

2. S.No. Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
(क्र.सं.)
1 भा द स 1860 376-D
2 भा द स 1860 506
3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता 3(2)(5)
निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day दरमियानी दिन Date From 01/12/2015 Date To 23/06/2016
(दिन): (दिनांक से) (दिनांक तक):
Time Period Time From 00:00 बजे Time To 00:00
(समय अवधि): (समय से) (समय तक): बजे

CNR No. UP32040099272016

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 25/06/2016 Time (समय): 14:45 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 014 Date & Time 25/06/2016 14:
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय): 45 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 4 किमी (बीट सं.):
(b) Address आर्यकन्या चौराहे के पास थाना सीपरी बाजार, झांसी
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. महिला थाना
(थाना का नाम):

District(State)
(ज़िला (राज्य)):

झांसी(उत्तर प्रदेश)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्रीमती नन्दनी खटीक

(b) Wife's Name (पत्नी का नाम): नरेन्द्र खटीक

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No.,
Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	258, दरीगरान, कोतवाली, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	258, दरीगरान, कोतवाली, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7238968443

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. Name (नाम) (क.स.)	Alias (उपनाम)	Relative's Name Present Address (प्रेमदाय का नाम) (वर्तमान पता)
1 अशू लिखधारी		पिता का नाम जगदीश लिखधारी
2 चन्दशेखर शुक्ला एडवोकेट		पिता का नाम अज्ञात

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. Property (क.स.) Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type Description (सम्पत्ति का प्रकार) (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
---	---	--

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण स., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रा0पत्र टाइप शुदा हिन्दी वादनी सेवा में, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद झांसी महोदय निवेदन है कि प्रार्थिया म0न0 258,दरीगरान थाना कोतवाली जिला झांसी की निवासी है प्रार्थिया अपने पति व बच्चों के साथ रहती है अशू लिखधारी पुत्र श्री जगदीश लिखधारी निवासी घास मण्डी बडा बाजार थाना कोतवाली झांसी ने प्रार्थिया के जेठ धर्मेन्द्र को सलाह मशविरा करके झूठे मुकदमे में थाना करैरा जिला शिवपुरी में करीब एक वर्ष पूर्व बन्द करा दिया था जिसमें प्रार्थिया के जेठ पांच माह के झूठे थे प्रार्थिया को मोबाईल नंबर 7084951426,7238968443 पर धमकी देकर प्रार्थिया को अशू लिखधारी अपने घर आर्यकन्या चौराहे के पास सीपरी बाजार ,झांसी मे दिसम्बर 2015 को बुलाया था और प्रार्थिया को तमाम तरह से डरा धमका कर उसके साथ अवैध सम्बन्ध बना कर उसे ब्लैक मेल करने लगा था **अशू लिखधारी के साथ उसका दोस्त चन्दशेखर शुक्ला एडवोकेट ने भी प्रार्थिया के साथ जबरदस्ती बन्दूक के दम पर बलात्कार किया था तथा लगातार प्रार्थिया के साथ उसकी इज्जत से खेलते रहे प्रार्थिया अपने परिवार की खातिर अशू लिखधारी आदि के अत्याचारों को बर्दास्त करती रही जब प्रार्थिया ने उक्त घटना अपने पति को बताने के लिये कहा तो अशू लिखधारी व **चन्द शेखर शुक्ला ने प्रार्थिया को कल दिनांक 23.06.2016 को मोबाइल पर फोन किया कि तुम सीधे तरह से यहां आजो और अगर पुलिस से शिकायत की तो तुम्हें और तुम्हारे पति नरेन्द्र को किसी झूठे मुकदमे में फसा कर****

जीवन बर्बाद कर देगे यह कि अंश लिखधारी व चन्द शेखर शुक्ला काफी चालाक शातिर व बदमाश किस्म के व्यक्ति है तथा इनके विरुद्ध फौजदारी के कई मुकदमे चल रहे है इन लोगो का काफी भय व आतंक है अशु लिखधारी आदि प्रार्थिया व उसके परिवार वालो के साथ कभी भी कोई संगीन घटना घटित कर सकते है प्रार्थिया के अशु लिखधारी आदि से अपनी व अपने परिवार की जान माल व सख्त आदेशा है अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अशु लिखधारी व चन्द शेखर शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके प्रार्थिया को उनके उत्पीडन से मुक्त कराकर प्रार्थिया व उसके परिवार की जान माल की रक्षा करने की कृपा करें श्रीमान जी की अति कृपा होगी प्रार्थिया Sd नन्दनी श्रीमती नन्दनी पत्नी श्री नरेन्द्र निवासी 258 दरीगरान थाना कोतवाली झांसी शि0 प्र0 109/16 दि0 24.6.16 नोट प्रमाणित किया जाता है कि मुझ म0आ0 1334 रेखा देवी द्वारा प्रा0 पत्र की नकल कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द की गयी है दि0 25.06.16

13. Action taken:

Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.):
(जांच अधिकारी का नाम):

Rank
(पद):

No.
(सं.):

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

सेवा में,

माननीया जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,

झोंसी

विषय :- अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा प्रतिशोध की भावना से विधि विरुद्ध पत्रावली तैयार कर अपमानित करने के उद्देश्य से कार्यवाही करने के

सम्बन्ध में :-

महोदया,

विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में श्री विमल प्रकाश आर्य की शिकायत महोदया से और माननीय उच्च न्यायालय में की थी जिससे रूष्ट होकर प्रतिशोध की भावना से उनके द्वारा एक पत्रावली तैयार की गयी है जिसमें न तो मुकदमा का विवरण अंकित है न ही धारा एवं थाना अंकित है और मुझे अभियुक्त बनाकर दिनांक-30.11.2021 को एक सम्मन जारी किया गया है जिसमें दिनांक-24.12.2021 तिथि नियत की गयी है यह सम्मन मेरे सम्मान एवं प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिये भेजा गया है मेरे विरुद्ध किसी भी धाने का कोई मुकदमा उनके न्यायालय में लम्बित नहीं है मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वह मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर जेल भेजना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने पूर्व में धमकी दी थी जिसकी मैं शिकायत कर चुका हूँ मैं पहली वार ऐसा सम्मन देख रहा हूँ जिसमें मुकदमे का विवरण अंकित नहीं है इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि श्री आर्य योजनाबद्ध तरीके से कोई गम्भीर षड़यंत्र मेरे विरुद्ध कर रहे हैं सम्मन की छाया प्रति साथ में संलग्न है ।

अतः महोदया से प्रार्थना है कि उक्त पत्रावली का संज्ञान लेकर एवं पत्रावली मंगाकर कार्यवाही करने की कृपा करें अन्यथा वह अपने षड़यंत्र में सफल हो जायेंगे ।

दिनांक-02.12.2021

Chief Administrative Officer
District Judges Court
JHANSI

भवदीय

(चन्द्रशेखर शुक्ला)

सी०जे०एम० कोर्ट कम्पाऊड झोंसी

Res Copy
1/11



सत्यमेव जयते

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP55253757537409T
Certificate Issued Date	: 03-Dec-2021 01:42 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14180504/ JHANSI SADAR/ UP-JHS
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1418050400652976114801T
Purchased by	: CHANDRASHEKHAR SHUKLA SO LT K B SHUKLA
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: CHANDRASHEKHAR SHUKLA SO LT K B SHUKLA
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: CHANDRASHEKHAR SHUKLA SO LT K B SHUKLA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)



Please write or type below this line-----

समक्ष :- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय,

उच्च न्यायालय प्रयागराज

(इलाहाबाद)

द्वारा माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,

झाँसी

शुभमित्र मिनजानिव चन्द्रशेखर शुकला एडवोकेट पुत्र स्व० श्री के०बी० शुकला निवासी
1082-एन्डो-होटल के पीछे पुरानी तहसील सिविल लाईन थाना नवावाद जिला झाँसी

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App or Stamp Printing.
Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the user of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

विषय - अपर सत्र न्यायाधीश एफ0010सी0 द्वितीय श्री विमल आर्य के विरुद्ध शपथ कथन एवं अविलम्ब उनके न्यायालय से दायित्वक वाद अन्तर्गत करने के सम्बन्ध में।

01- यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि शपथकर्ता उपरोक्त पद का निवासी है।

02- यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि जनपद झोंसी में जब मैं श्री विमल आर्य जी ने कार्यभार ग्रहण किया है उनका अधिवक्ताओं के प्रति दुर्य्यहार दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को सायं काल 08.00 बजे से 06:30 बजे तक अनावश्यक रूप से खड़ा रखते हैं हत्या के मामले में जिस कर्मचारी द्वारा केवल पोस्टमार्टम के लिये शव को ले जाया जाता है उसको भी साध्य के लिये न्यायालय में बुलाया जाता है और अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है।

03- यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है अधिवक्ताओं एवं मुकदमों के वादियों को नोटिस दिया जाता है न्यायालय अवमानना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की धमकी दी जाती है इनके झोंसी में चर्चित महिलाओं एवं अन्य समाज विरोधी व्यक्तियों से सम्बन्ध है यह अपने पारिवारिक वाद के कारण स्वस्थ मस्तिष्क से न्यायिक कार्यों का निर्वाहन नहीं करते हैं पूर्व के पद स्थापना के स्थान पर इनकी कई शिकायतें हुयी हैं और ये कई विवादों से घिरे रहे श्री विमल आर्य के विरुद्ध पूर्व में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं अन्य अधिवक्ताओं द्वारा माननीय पूर्व प्रशासनिक न्यायमूर्ति से शिकायत की गई थी कोई कार्यवाही न होने के फलस्वरूप इनका मनोबल अत्यधिक बढ़ा हुआ है।

04- यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में श्री विमल प्रकाश आर्य की शिकायत महोदया से और माननीय उच्च न्यायालय में की थी जिससे रुष्ट होकर प्रतिषेध की भावना से उनके द्वारा एक पत्रावली तैयार की गयी है जिसमें नया मुकदमा का विवरण अंकित है न ही धारा एवं थाना अंकित है और मुझे अभियुक्त बनाकर दिनांक-30.11.2021 को एक सम्मन जारी किया गया है जिसमें दिनांक-24.12.2021 तिथि नियत की गयी है यह सम्मन मेरे सम्मान एवं प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिये भेजा गया है मेरे विरुद्ध किसी भी थाने का कोई मुकदमा उनके न्यायालय में लम्बित नहीं है मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वह मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर जेल भेजना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने पूर्व में धमकी दी थी जिसकी मैं शिकायत कर चुका हूँ मैं पहली वार ऐसा सम्मन देख रहा हूँ जिसमें मुकदमों का विवरण अंकित नहीं है इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि श्री आर्य योजनाबद्ध तरीके से कोई गम्भीर षडयंत्र मेरे विरुद्ध कर रहे हैं

05- यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि महोदय के संज्ञान में यह भी जाना आवश्यक है कि एक प्रकरण सरकार बनाम बॉबी अहिरवार धारा-302, 504 एवं 3/25 अधिनियम जिसका सत्र परीक्षण संख्या-138,139/2012 में दिनांक-10.08.2021 को अभियुक्त के गिरफ्तारी वारंट कर दिया गया था मात्र एक तिथि के गिरफ्तारी अधिपत्र पर अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया और कई दिन



संज्ञान में यह भी उल्लेख किया गया है कि जमानती गिरफ्तारी के अभाव में अदालत द्वारा 147, 148, 149, 307 (1) और 307 (2) के अन्तर्गत बन्धन में रखा गया व्यक्ति को अदालत द्वारा 142, 2009 में दिनांक 30/09/2021 को बिना जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया जिसमें 22/10/2021 से 09/11/2021 की तिथि नियत की गयी और 09/11/2021 को अभियुक्त अयोग्यता का बिना जमानती गिरफ्तारी प्रमाणित रूप में लिया गया यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि एक तिथि के वारंट के अभियुक्त को लेल में रखने के बाद जमानत पर अवमुक्त किया जाता है और दूसरे अभियुक्त अयोग्यता को तीन तिथियों का वारंट रिकॉल किया गया उनके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है।

06-यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि श्री विमल आर्या इष्टाचार में आकर्षित लिप्त रहते हैं एवं जनपद में इनके कई दलाल सक्रिय है मन माफिक पैसा न मिलने पर पक्षद्रोही साक्ष्य में भी कई प्रकरणों से सजायाव किया गया है अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार व अवमाननीय व्यवहार एवं अससंगीय भाषा का प्रयोग करने पर कियी समय अधिवक्ताओं और श्री विमल आर्या के मध्य गम्भीर विवाद की स्थिति बन सकती है।

07-यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि माननीय महादय से प्रार्थना है कि न्यायहित को द्रष्टिगत रखते हुये और अधिवक्ताओं एवं श्री विमल आर्या के मध्य कोई विवाद न हो अविलम्ब उनके न्यायालय से दाण्डिक मामले को अन्य न्यायालय में अन्तरिक करने और इन्हे इस जनपद से बाहर स्थानान्तरण करने के उपरान्त उनके विरुद्ध जांच कराने की कृपा करें उनके झॉसी में पदस्त रहते हुये वह जांच को प्रभावित करेंगे और अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बढ़ा देंगे।

तस्दीक

यह कि मैं शपथकर्ता वहल्फ वयान करता हूँ कि शपथपत्र की धारा-1 लगायत 7 भरे निजी ज्ञान से सब सच व सही है इसमें कुछ भी वात छिपायी नहीं गयी है। यी तस्दीक आज दिनांक-03.12.2021 को आहता कचहरी झॉसी की गई।


प्रतिनिधि :- माधवीच जनपद एवं स्या न्यायाधीश असोसियेटेड कोर्ट

शपथकर्ता

[Signature]
03/12/2021

Serial No. 8529/21
Certified that the foregoing statement
sworn before me this day
by Shri/Sri...
to whom the...
been read...
is identified...
Received the...
[Signature]

[Signature]
03-12-21
Jugal Kishore Tripathi
Notary Advocate
Morarji Jhansi District



GOVT



[Signature]
Chief Administrative Officer
District Judges Court
JHANSI

12/16

प्रेषक (विमल प्रकाश आर्य)
 अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।
 (चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
 सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश
 झांसी ।

विषय : अर्द्ध शासकीय पत्रांक सं० 28/ 2021 दिनांकित 09. 12. 2021A


संदर्भ : श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के प्रार्थनापत्र दिनांकित 02. 12. 2021 पर श्रीमान जी द्वारा पारित
 आदेश दिनांकित 02. 12. 2021 के सम्बन्ध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि उक्त अधिवक्ता के द्वारा शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ मूल रूप से
 प्राप्त शुदा सम्मन की छायाप्रति नहीं है ।

आख्या सादर प्रेषित ।

भवदीय


 10.12.2021

दिनांक: 10. 12. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।

(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

नोट: दिनांक 10. 12. 2021 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर भिजवाया गया ।

(12/17)

न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झॉंसी
अन्तरण प्रा0प्र0स0- सन 2021
चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट सी0जे0एम0 कोर्ट कम्पाउण्ड झॉंसी.
बनाम

सरकार उ0प्र0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 408 द0प्र0स0

धारा- अज्ञात

थाना- अज्ञात

जिला झॉंसी

मु0न0- अज्ञात

महोदय,

विनम्र प्रार्थना है कि अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 कक्ष स0- 14 इ
द्वारा एक सम्मन बतौर अभियुक्त मुझे भेजा गया है जिसमें न तो मुकदमा नम्बर है न
धारा व न ही थाना अंकित है। जिसके सम्बन्ध में अन्तरण प्रार्थना पत्र निम्न आ
प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य के विरुद्ध मेरे द्वारा कई शिक
की गयी है।
- 2- यहकि कुछ मुकदमों में मेरे पक्षकारों द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय और मह
को शिकायते की गयी है।
- 3- यहकि अन्तरण प्रार्थनापत्रों में पक्षकारों की ओर से मैं स्वयं अधिवक्ता हूँ।
- 4- यहकि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य मुझसे व्यक्तिगत द्वेष मानते है
- 5- यहकि श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा यह कहा गया है कि प्रकरण में मैंने जानबू
दिनांक 24.12.2021 की तिथि नियत की है उस तिथि को मैं इस प्रकरण में व
जारी करूंगा। क्योंकि दिनांक 24.12.2021 के पश्चात शीत कालीन अवकाश हो रहा
- 6- यहकि व्यक्तिगत द्वेष के कारण उपरोक्त सम्मन जारी किया गया है ऐसा
सम्मन है जिसमें धारा, थाना व प्रकरण का अन्य विवरण अंकित नहीं है।
- 7- यहकि उपरोक्त प्रकरण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 कक्ष स0-
से अन्तरित नहीं किया जाता है तो वह मुझे अपूर्णनीय क्षति पहुँचायेगें।

प्रार्थना

अतः महोदया,जी से न्यायहित में प्रार्थना है कि उपरोक्त प्र
जिसमें सम्मन की छायाप्रति साथ में संलग्न है को किसी अन्य न्यायालय में अ
करने की कृपा करें।

दिनांक-16.12.2021

ADJ-FTC (14th F.C.)

भवदीय

(चन्द्रशेखर शुक्ला)

एडवोकेट

सी0जे0एम0 कोर्ट कम्पाउण्ड झॉंसी



12.12.2021
Met up with
J.P.

18.12.2021

रफ्त
ओ.एस. 17/12/21

प्रार्थना के रूप में
दर्शित कर रहा हूँ
द्वारा भेजा गया
ले आस्था रखते हैं
दिनांक 22/12/21
सस्ते निस्तारण के लिए

Copy or order forwarded to.....
for information & Necessary Action

सेवाक - छायाप्रति सम्मन

Sadar Mansarim/ Sessions Clerk

12/10

-6H

प्रेषक-

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झाँसी ।

विषय

: अर्द्ध शासकीय पत्रांक सं० 28/ 2021 दिनांकित 09. 12. 2021A

संदर्भ

: मेरे द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 10. 12. 2021 के सम्बन्ध में ।


महोदया

सादर अवगत कराना है कि मैंने अपने पत्र दिनांकित 10. 12. 2021 श्रीमान जी को यह अवगत कराया था कि उक्त अधिवक्ता के द्वारा शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ मूल रूप से प्राप्त शुदा सम्मन की छायाप्रति नहीं है । बिना किसी आदेश के उक्त तथाकथित सम्मन की छायाप्रति मेरे न्यायालय में कार्यरत श्री बाल्मीकि साहू को दिनांक 17. 12. 2021 को प्राप्त कराने पर उनके द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई । तब ज्ञात हुआ कि वह मूल रूप से प्राप्त शुदा सम्मन की छायाप्रति नहीं है ।

मेरा पुनः यही कथन है कि जो छायाप्रति सम्मन की श्री बाल्मीकि साहू को प्रदत्त करायी गयी है वह मूल रूप से प्राप्त शुदा सम्मन की छायाप्रति नहीं है ।

आख्या सादर प्रेषित ।

भवदीय


20.12.2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

नोट: दिनांक 18. 12. 2021 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर भिजवाया गया ।

21. 12. 2021

12/20